बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं0–15/आरोप (पूर्वी चम्पारण) 02–16/2026–   (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..................

श्री आनंद कुमार, (कोटि क्रमांक–929/24), अंचल अधिकारी, घोड़ासहन, पूर्वी चम्पारण द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के दिनांक–10.03.2026 के समृद्धि यात्रा में व्यवधान पैदा करने, सरकार की नीतियों के विरूद्ध समाचार पत्रों/प्रेस/Social Media में बिना अनुमति के आलोचना करने, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा निर्गत पत्रों के विरूद्ध वक्तव्य देने, सहकर्मियों को सरकारी नीतियों के विरूद्ध भड़काने, मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक–83 दिनांक–09.01.2026 के आदेशों का उल्लंघन करने, उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं करने, भारत की जनगणना–2027 के कार्यो को अवरूद्ध करने, विधान मंडलीय बजट सत्र के दौरान हड़ताल पर रहने एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 के राजस्व लक्ष्य प्राप्ति को बाधित करने जैसे आरोप गठित है।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0–373(15) दिनांक–18.03.2026 द्वारा श्री कुमार को निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय–आयुक्त कार्यालय, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ निर्धारित किया गया है।

3. आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की सम्यक जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है।

5. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु **अपर समाहर्त्ता, पूर्णियाँ** को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा जाँच/संचालन पदाधिकारी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने हेतु **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पूर्णियाँ सदर** को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित रहेंगे।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण/अपर समाहर्त्ता, पूर्णियाँ/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पूर्णियाँ सदर/श्री आनंद कुमार, अंचल अधिकारी, घोड़ासहन, पूर्वी चम्पारण सम्प्रति निलंबित **मुख्यालय–आयुक्त कार्यालय, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

D:\2026_Jiten\Departmental Proceeding (Sankalp)_2026\anand kumar_CO(ghorasahan).doc

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

ज्ञापांक–15/आरोप (पूर्वी चम्पारण) 02–16/2026–..........................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–....................

प्रतिलिपिः– आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ/समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पूर्णियाँ सदर/श्री आनंद कुमार, अंचल अधिकारी, घोड़ासहन, पूर्वी चम्पारण सम्प्रति निलंबित **मुख्यालय–आयुक्त कार्यालय, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ** को आरोप पत्र की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

स्पीड–पोस्ट

ज्ञापांक–15/आरोप (पूर्वी चम्पारण) 02–16/2026–..........................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–....................

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, पूर्णियाँ को अभिलेख की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशित किया जाता है कि विभागीय कार्यवाही **अविलम्ब** प्रारम्भ करते हुए जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित तीन प्रतियों में 06 माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनु0– आरोप पत्र की छायाप्रति (साक्ष्य सहित)।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (पूर्वी चम्पारण) 02–16/2026–408.........(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–20.03.2026

प्रतिलिपिः– माननीय उपमुख्यमंत्री–सह–विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (**वै0दा0नि0को0**) विभाग, बिहार, पटना (**मूल प्रति**)/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/3/26
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।